

10

कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, उज्जैन

क्रमांक/
प्रति

/पीपीयू/63/10/नग्रानि

उज्जैन, दिनांक

श्रीमती गीतादेवी पंड्या एवं श्री ब्रजेश पंड्या
4, आजाद नगर, उज्जैन
प्रायोजक अक्षत ऋषभ शिक्षण एवं शोध समिति, उज्जैन

विषय :- ग्राम लालपुर सर्वे क्रमांक 22/1/1/मीन-1, 22/1/1/मीन-5, व 22/2/1 रकबा 2.404 हेक्टर पर स्कूल के स्थल अनुमोदन बाबद

संदर्भ :- अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व उज्जैन का पत्र क्रं. 5756 दिनांक .02.12.10 एवं आवेदक का आवेदन दिनांक 10.12.10


-0-

उपरोक्त विषय में लेख हैं कि आपके आवेदन दिनांक 10.12.10 के साथ उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों तथा स्कूल निर्माण हेतु प्रायोजक शैक्षणिक संस्था द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर एतद् द्वारा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 (1) (ख) तथा म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 2 (5) (क) एवं नियम 27 के अधीन ग्राम लालपुर सर्वे क्रमांक 22/1/1/मीन-1, 22/1/1/मीन-5, व 22/2/1 रकबा 2.404 हेक्टर भूमि पर संलग्न मानचित्र में लाल रंग से किये गये संशोधनों के अनुसार हायर सेकेण्ड्री स्कूल बाबत स्थल अनुमोदित कर विकास विकास अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए दी जाती हैं :-

- 1 विषयांकित भूमि के सामने स्थित पंचकोशी मार्ग की चौड़ाई विकास योजना में 24.0 मीटर प्रस्तावित है। अतः मार्ग मध्य से 12.0 मीटर भूमि छोड़ने के पश्चात संलग्न मानचित्र में दर्शाए अनुसार 6.0 मीटर भूमि पर वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक होगा।
- 2 भूतल पर स्वीकार्य अधिकतम निर्मित क्षेत्र 10 प्रतिशत, तथा एफ.ए.आर. 0.3 तथा स्कूल भवन की अधिकत उँचाई जी+2 (10 मीटर) मान्य होगी तथा सीमांत खुले क्षेत्र (M.O.S.) संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार रखना होगा।
- 3 स्कूल परिसर में आने वाले वाहनों हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त पार्किंग क्षेत्र को आरक्षित कर विकसित कर उपलब्ध कराना होगा।
- 4 उज्जैन विकास योजना में प्रस्तावित बाईपास के कंट्रोल एरिया के अन्तर्गत सम्मिलित भूमि संलग्न मानचित्र में दर्शाई गई है। कंट्रोल एरिया से प्रभावित भूमि एवं खेल के मैदान हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण वर्जित होगा।

- 5 म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (संशोधन अधिनियम क्र० 22 सन् 2003 द्वारा प्रतिस्थापित) के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन से उनके नियमों / अधिनियमों के अंतर्गत आवश्यक अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 6 म०प्र० ग्राम पंचायत (भवनों के परिनिर्माण) आदर्श उपविधियों 1999 के अन्तर्गत भवन निर्माण अनुज्ञा ग्राम पंचायत, लालपुर से प्राप्त करना होगी।
- 7 यह अनुज्ञा पत्र के जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक वैध रहेगी। समयावधि में विकास/निर्माण कार्य सम्पन्न न होने पर समयावधि बढ़ाने हेतु आवेदन निश्चित समयावधि के पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- 8 संलग्न अभिन्यास को भू-स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे।
- 9 निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा :-
- 1 सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा, उज्जैन।
 - 2 नजूल अधिकारी उज्जैन
 - 3 अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत कोई अनुमति किसी विभाग से प्राप्त करना आवश्यक हो तो उसे अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जावे।
- 10 किसी भी प्रकार के भू-स्वामित्व अथवा सीमा संबंधी विवाद होने पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाई जाने पर या उक्त अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञा म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहत की जा सकेगी।

संलग्न :- एक अनुमोदित मानचित्र


उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
उज्जैन


पृष्ठा. क्र. 9265 / पीपीयू/63/10/नग्रानि
प्रतिलिपि :-

उज्जैन दिनांक 27/12/201

- 1 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन की ओर उनके पत्र पत्र क्रं. 5756 दिनांक 02.12.10 के सन्दर्भ में लेख है कि भूमि के स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार का विवाद कार्यालय में प्रचलन में हो तो इस कार्यालय को अवगत करावे तथा इस अनुमति के आधार पर कोई कार्यवाही न करें।
- 2 सरपंच, ग्राम पंचायत, लालपुर तहसील एवं जिला उज्जैन की ओर कृपया सूचनार्थ होकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 3 सचिव, अक्षत ऋषभ शिक्षण एवं शोध समिति, 4, आजाद नगर, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4 जिला पंजीयक, जिला उज्जैन की ओर अग्रेषित कर लेख है कि वर्ष 2010-11 के बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत अनुसार विषयांकित भूमि का मूल्य रूपये 33,00,000/-प्रति वर्गमीटर की दर के मान से विकास अनुज्ञा शुल्क जमा कराया गया है। यदि दर इससे भिन्न हो तो कृपया अवगत कराने का कष्ट करें।

5 वेबसाईट प्रति
संलग्न :- एक अनुमोदित मानचित्र


उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
उज्जैन